राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

बजट भाषण

2015–2016

श्री मनीष सिसौदिया
उप मुख्य मंत्री

25 जून, 2015

दिल्ली

[भाग–क]

माननीय अध्यक्ष जी,

मैं वित्त वर्ष 2015–16 के लिए बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. मान्यवर, मैं बेहद प्रसन्नता और फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि यह देश का पहला 'स्वराज बजट' है।

3. मार्च, 2015 में इस सम्मानित सदन से लेखानुदान पारित कराते समय, मैंने कहा था कि सरकार 2015–16 का बजट बनाने की प्रक्रिया को नए ढंग से देखेगी और एक सहभागितापूर्ण प्रक्रिया के जरिए नागरिकों, शिक्षाविदों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, RWAs, नागरिक समितियों, व्यापार संगठनों, कारपोरेट घरानों आदि से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी और सुझावों को बजट में शामिल करेगी। हम दिल्ली के नागरिकों को सरकार की व्यवस्था में प्रमुख हिस्सेदार समझते हैं। हमारी सरकार में निर्णय लेने का पहला अधिकार दिल्ली के नागरिकों का है। हमने इस बजट को तैयार करने में यह सुनिश्चित किया है कि लोग अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार दिल्ली के विकास का तरीका तय कर सकें।

4. बजट तैयार करने की प्रक्रिया अभी तक दिल्ली सचिवालय तक सीमित रहती थी। परन्तु, इस बार पूरी दिल्ली में अनेक सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें नागरिकों ने स्वयं अपने लिए विकास कार्यों की सूची तैयार की और कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकताएं भी खुद ही तय की। सही मायने में, यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें नागरिक सीधे तय करते हैं कि जनता के पैसे से तैयार हो रहे बजट का इस्तेमाल कैसे किया जाये। इस प्रक्रिया के जरिए दिल्ली के नागरिक अपने जीवन पर असर डालने वाले बजट निर्णयों के लिए सरकार के साथ मिल कर काम कर सकेंगे।

5. माननीय मुख्यमंत्री ने अप्रैल, 2015 में बजट तैयार करने के बारे में लोगों से सुझाव देने की अपील की थी। नागरिकों ने इसके जवाब में 1500 से अधिक सुझाव दिए। 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जन–सभाओं के जरिए व्यापक विचार–विमर्श किया गया। हमने प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों के बारे में नागरिक संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों,

कॉरपोरेट क्षेत्र और व्यापक स्तर पर दिल्ली के नागरिकों के साथ विचार–विमर्श किया। इस तरह एकत्र जानकारी और व्यवहारिक सुझावों का हमने बजट तैयार करने में इस्तेमाल किया। मैं, दिल्ली के नागरिकों के प्रति, उनके इस बजट को तैयार करने में दिए गए सुझावों और विचारों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। विकास प्रक्रिया में सरकार के प्रमुख भागीदार की भूमिका निभाने वाले दिल्ली के तमाम नागरिक इस सम्मानित सदन से प्रशंसा के हकदार हैं। उनसे प्राप्त बुनियादी जानकारी और सुझाव इस बजट का आधार हैं और वे उन सभी घोषणाओं में व्यक्त होंगे, जो मैं आगे करने जा रहा हूं।

6. सरकार के पिछले 130 दिन के कामकाज में नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए जिनमें बिजली के बिलों में सब्सिडी और हर महीने 20,000 लीटर निःशुल्क जलापूर्ति शामिल है। हमारा लक्ष्य दिल्ली को एक ऐसा राज्य बनाना है, जिसकी पहचान एक विश्वस्तरीय शिक्षण और कौशल विकास के केन्द्र के रूप में हो। इसमें सभी लोगों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा हो। परिवहन व्यवस्था सबको सुलभ हो और पर्यावरण के अनुकूल हो। जहां रोजगार की व्यापक संभावनाओं के साथ–साथ सेवा और उद्योग में नए प्रयोगों को पर्याप्त जगह मिले।

7. सरकार ने बेहद पारदर्शी और कुशल तरीके से शासन की सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के प्रति तेजी से कार्य कर रही है। इस मिशन में आम आदमी को भागीदार बनाने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन फिर से शुरू की गई है ताकि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकें। मैं नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे आगे आएं और दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के हमारी सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये का हिसाब हो और उसे निर्धारित प्रयोजन के लिए ही खर्च किया गया हो।

8. यह सम्मानित सदन दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा न केवल एक औपचारिकता के लिए, बल्कि उनके द्वारा दिए गए जनादेश और उनकी इच्छाओं की सही पूर्ति के लिए भी एक पूर्वापेक्षा है। हम केंद्र सरकार के साथ निरंतर इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

मूल्य स्थिति

9. दिल्ली में महंगाई की दर 2014–15 के दौरान 6.6 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में मुम्बई में यह 8.3 प्रतिशत, कोलकाता में 6.1 प्रतिशत और राष्ट्रीय स्तर पर 6.4 प्रतिशत थी।

10. सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर निरंतर निगरानी रख रही है। समयानुसार बाज़ार में दखल देकर मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उपाय किये जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पहली बार प्याज और आलू का सुरक्षित भंडार रखने का फैसला किया है ताकि इन वस्तुओं की कमी होने पर इन्हें बाज़ार में लाया जा सके।

वित्तीय स्थिति

11. माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014–15 के दौरान दिल्ली को लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार से वंचित रखा गया। पूरी की पूरी व्यवस्था केन्द्र सरकार के अधीन, माननीय उपराज्यपाल महोदय के जरिये चलाई गई। लोकतांत्रिक सरकार न होने का सीधा असर दिल्ली में कर संग्रह पर साफ दिखता है। 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में वर्तमान मूल्यों के आधार पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 4,51,154 करोड़ रुपये मूल्य का रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि राज्य की कर वसूली में मात्र 2.64 प्रतिशत की वृद्धि ही देखी गई। 2013–14 के दौरान हुई 25,919 करोड़ रुपये की कर वसूली की तुलना में 2014–15 के दौरान यह वसूली 26,604 करोड़ रुपये रही। स्टांप और पंजीकरण शुल्क में कमी का एक कारण यह भी रहा कि इस दौरान रियल स्टेट सैक्टर में भी मंदी

आई। 2014–15 के दौरान वैट की वसूली में 2.03 प्रतिशत, आबकारी में 8.59 प्रतिशत और मोटर वाहन कर की वसूली में 10.61 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

12. स्थिर मूल्यों के आधार पर, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत वृद्धि देखी गई। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 3.86 प्रतिशत है जबकि देश की कुल जनसंख्या में दिल्ली की हिस्सेदारी मात्र 1.4 प्रतिशत है।

13. मैं कुछ संगत तथ्य भी दोहराना चाहता हूं जिनकी चर्चा मैंने लेखानुदान प्रस्तुत करते हुए भी की थी। सकल राज्य घेरलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली में प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय 2014–15 में वर्तमान मूल्यों पर 2,40,849 रुपये रही, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 2.7 गुणा अधिक रही है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 87,748 रुपये है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की प्रधानता रही है, जिसका जीएसडीपी में 87.48 प्रतिशत योगदान रहा है, इसके बाद उद्योग और कृषि क्षेत्र का स्थान है।

14. चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। दिल्ली, केन्द्रीय वित्त आयोग के विचारणीय विषयों में शामिल न होने के कारण इस सिफारिश के लाभ से वंचित है, हालांकि अन्य राज्यों की भांति दिल्ली का भी अपना अलग कंसोलिडेटिड फंड है और सरकार के सभी वित्तीय लेन–देन स्वयं के संसाधनों से पूरे किए जाते हैं। यदि ये सिफारिशें दिल्ली पर भी लागू होती तो हमें इन सिफारिशों की अवधि (2015–20) के दौरान करीब 25,000 करोड़ रुपये प्राप्त होते।

2014–15 में व्यय

15. अध्यक्ष जी, 2014–15 के 36766 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों को घटाकर संशोधित अनुमान में 34790 करोड़ रुपये किया गयां। अस्थायी लेखा विवरण के अनुसार वर्ष 2014–15 में कुल व्यय 30940 करोड़ रुपये किया जा सका। इसमें 13984 करोड़ रुपये

योजना व्यय और 16956 करोड़ रुपये गैर–योजना व्यय शामिल है, जबकि संशोधित अनुमानों में 16350 करोड़ रुपये योजना व्यय और 18440 करोड़ रुपये गैर–योजना व्यय का प्रावधान था।

2015–16 के बजट अनुमान

16. अध्यक्ष जी, मैंने चालू वर्ष के लिए लेखानुदान की मंजूरी प्राप्त करते समय 2015–16 के लिए प्राप्तियों और व्यय के अनुमान प्रस्तुत किए थे। उसके बाद हमने दिल्ली बजट के बारे में जनता से सुझाव आमंत्रित किए और हमें बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए। तदनुसार, हमने विभिन्न नए कार्यक्रमों/योजनाओं और पहले से जारी कार्यों के लिए प्रतिबद्धताओं हेतु धन की आवश्यकता की समीक्षा की। इससे चालू वित्त वर्ष के लिए बजट के आकार में वृद्धि आवश्यक हो गई।

17. वर्ष 2015–16 के लिए कुल बजट अनुमान 41129 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि लेखानुदान में 37750 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे। इनमें 19000 करोड़ रुपये योजना व्यय और 22129 करोड़ रुपये गैर–योजना व्यय के रूप में प्रस्तावित हैं जबकि लेखानुदान में 16250 करोड़ रुपये योजना व्यय और 21500 करोड़ रुपये गैर–योजना व्यय के रूप में मंजूर किए गए थे। योजना बजट के रूप में प्रस्तावित 19,000 करोड़ रुपये, 2014–15 के दौरान किए गए 16,350 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 16 प्रतिशत अधिक है। 2015–16 के बजट के लिए कुल प्रस्तावित 41,129 करोड़ रुपये की राशि 2014–15 के संशोधित अनुमान 34,790 करोड़ रुपये से 18 प्रतिशत अधिक है।

18. 2015–16 में कुल अनुमानित प्राप्तियां 41,500 करोड़ आंकी गई हैं, जो लेखानुदान में स्वीकृत 37,769 करोड़ रुपये से 3731 करोड़ रुपये अधिक है। प्राप्तियों और व्यय के प्रस्तावित अनुमानों में 371 करोड़ रूपये सरप्लस होंगे।

19. 41,129 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित व्यय के लिए धन की व्यवस्था में मुख्य रूप से 34,661 करोड़ रुपये स्वयं के कर राजस्व से जुटाने का प्रस्ताव है जबकि 1,127 करोड़

रुपये गैर–कर राजस्व, 381 करोड़ रुपये पूंजी प्राप्तियों, 1,038 करोड़ रुपये लघु बचत ऋण, 807 करोड़ रुपये सीएसटी/वैट के बदले क्षतिपूर्ति, 800 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं, 395 करोड़ रुपये सामान्य केंद्रीय सहायता, 163 करोड़ रुपये बाहरी सहायता परियोजनाओं, 325 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और बाकी राशि प्रारंभिक शेष से जुटायी जायेगी।

20. केन्द्रीय शुल्कों और करों में दिल्ली की हिस्सेदारी के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए मात्र 325 करोड़ रुपये दिए गए हैं। केन्द्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी पिछले 14 वर्षों से यही चली आ रही है। इसलिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किए जाने के बावजूद दिल्ली को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में केवल 325 करोड़ रूपये ही मिल सके हैं।

21. प्रस्तावित कुल व्यय में से 5,908 करोड़ रुपये की राशि स्थानीय निकायों के लिए आवंटित की गई है। इसी के साथ–साथ 4,993 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से पूर्व में लिए गए कर्ज के ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में दिए जा रहे हैं। 1,084 करोड़ रुपये डीटीसी के घाटे की पूर्ति के रूप में दिए जाने हैं और 1,690 करोड़ रुपये घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली और पानी सब्सिडी आदि के रूप में शामिल हैं।

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

22. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। स्थानीय निकायों को 2015–16 में वित्तीय सहायता के रूप में कुल 5,908 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जो कुल बजट का 14.4 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, उत्तरी और पूर्वी नगर निगमों की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम निगमों के ऋणों का पुनर्भुगतान स्थगित करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि वे अपनी स्थिति में सुधार कर सकें। हम 2015–16 में निगमों के बकाया ऋण के मूलधन और ब्याज की वसूली उन्हें

दिए जाने वाले अनुदानों से करने की पिछली सरकार द्वारा अपनाई गयी पद्धति का अनुसरण नहीं करेंगे।

23. 2015–16 में स्थानीय निकायों की दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता में 2,850 करोड़ रुपये कर संग्रह में हिस्सेदारी के रूप में, 1,394 करोड़ रुपये स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क तथा पार्किंग शुल्क में हिस्सेदारी से संबंधित हैं। शहरी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए हम इस वित्त वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों को योजना निधि के रूप में 1,664 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करते हैं।

24. हमारी सरकार नगर निगमों को हर संभव सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। नगर निगमों को पिछले वर्षों में इस अवधि तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार से प्राप्त हुई राशि से अधिक बजट राशि जारी करके हमारी सरकार पहले ही अपना मनतव्य स्पष्ट कर चुकी है। स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधन बढ़ाने और बढ़ते हुए खर्च पर नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते हम उनसे निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। हमने केन्द्र सरकार से भी सहयोग की अपील की है ताकि हम नगर निगमों की मदद कर सकें। मैं इस सम्मानित सदन के जरिये नगर निगमों से अपील करता हूं कि वे अपनी कार्यप्रणाली को सुचारु बनाएं ताकि आने वाले महीनों में नगर प्रबंधन में कोई खामी न आए और इस महान शहर के लोगों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े।

शासन में सुधार

25. जनभागीदारी की प्रक्रिया से बजट तैयार करने की शुरुआत, संसाधनों के सही उपयोग और पारदर्शी कामकाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भ्रष्टाचार पर काबू पाने और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। लोगों की भागीदारी से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि धन का कारगर और प्रभावी इस्तेमाल हो, जिसके परिणामस्वरुप नागरिकों के लिये महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों को अंजाम दिया जा सके। इससे नागरिकों को सक्रिय और एकजुट रहने में भी

मदद मिलती है। इसका लक्ष्य नागरिकों को निर्णय करने के अधिकार प्रदान करने और आम आदमी के लिये धन खर्च करने में उनकी बात शामिल करना भी है। अध्यक्ष जी, इसीलिए मैंने अपनी बात शुरू करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि यह भारत का प्रथम स्वराज बजट है।

26. अध्यक्ष जी, एक नई पहल के रुप में "स्वराज निधि" की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिसके जरिये नागरिक अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्राथमिकता के अनुसार स्वयं चुने हुए कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे। मैं स्वराज निधि कार्यक्रम के लिये 253 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। स्वराज निधि यानी जनता की अपनी निधि। वैसे तो इस बजट में शामिल पूरी की पूरी राशि जनता की ही है लेकिन स्वराज निधि हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व प्रयोग है। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन में इसकी परिकल्पना तो की गई है। गांवों में ग्राम सभाओं के माध्यम से इसे अमल में लाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं लेकिन अभी वो कागजी ही हैं। सही मायने में लोकतंत्र स्थापित करना है तो व्यवस्था के फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज़ पर हर पल, हर क्षण जनता का नियंत्रण जरूरी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि स्वराज निधि की स्थापना देश में सच्ची लोकशाही की स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। स्वराज निधि के तहत आने वाले वर्षों में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक निश्चित राशि आवंटित की जाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र में जनता खुद अपने–अपने मोहल्लों में बैठकर तय करेगी कि इस पैसे को उसकी जरुरत के किस काम में, कब और कहां इस्तेमाल करना है। कौन सा काम पहले होना है और कौन सा बाद में हो सकता है, ये भी जनता ही तय करेगी। एक बार काम हो जाए तो ठेकेदार को भुगतान भी तभी किया जाएगा जब जनता उस काम के प्रति अपनी संतुष्टि जाहिर कर देगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये देश में पहली बार हो रहा है इसलिए हमें बहुत कुछ नई परंपराएं भी स्थापित करनी होंगी। हमारा मकसद सभी 70 विधानसभाओं में इसे शुरू करना है लेकिन शुरुआत में पहले वर्ष 11 विधानसभाओं में मोहल्ला बैठकें कर जनता से डिमांड ली गई हैं। हर एक

विधानसभा को करीब 40 से 50 मोहल्लों में बांटकर वहां रहने वाले मतदाताओं की बैठकें कराई गईं। इन बैठकों में स्वयं जनता ने ही वोटिंग के जरिये अपनी डिमांड्स की प्राथमिकताएं तय कीं। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रत्येक विधानसभा को स्वराज निधि के तहत 20–20 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित राशि में शेष 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक के लिये 50 लाख रुपये का प्रावधान भी शामिल है।

27. दिल्ली में रख–रखाव या निर्माण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी को लेकर काफी भ्रम की स्थिति रही है। अगर कोई सरकारी कार्य जैसे – कोई सड़क ठीक करानी है, नाली ठीक करानी है, पार्क में कोई काम कराना है या फिर स्ट्रीट लाईट लगवानी है तो लोक निर्माण विभाग से लेकर नगर निगम तक सबके पास इसकी जिम्मेदारी है और हकीकत में कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। मुझे आश्चर्य होता रहा है कि बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई जैसे बड़े कार्यों के लिए जिम्मेदार विभाग को अनियोजित कालोनियों में छोटी–छोटी नालियां बनाने तक की जिम्मेदारी दी गई है जबकि यही कार्य नगर निगम और कहीं कहीं लोक निर्माण विभाग और डीएसआईडीसी जैसी संस्थाओं को भी दिया गया है। ऐसे में आम नागरिक की तो बात ही छोड़िये, विधायक तक को कई बार समझ नहीं आता कि किस कालोनी में किस कार्य के लिए किस संस्था से संपर्क करें। यह भ्रम एक तरफ अव्यवस्था को, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए रख–रखाव एवं निर्माण आदि कार्यों के लिए प्रत्येक जिले में 'दिल्ली नगर विकास एजेंसी (डीयूडीए)' नाम की एक नई एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस एजेंसी के माध्यम से स्वराज निधि और विधायक निधि आदि योजनाओं के अंतर्गत आम जनता अथवा विधायकों द्वारा अनुशंसित किए गए कार्यों को निष्पादित किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह एजेंसी अनियोजित कालोनियों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने में भी भूमिका निभायेगी।

28. बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण और निगरानी के लिए, प्रत्येक जिले में दिल्ली शहरी विकास एजेंसी, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में काम करेगी और उसकी सहायता के लिए इंजीनियरों की एक टीम होगी। इससे जन सेवा कार्यों के निष्पादन में बेहतर जवाबदेही, कार्यकुशलता और पारदर्शिता लाई जा सकेगी।

स्मॉर्ट सिटी – स्मॉर्ट गवर्नेंस

29. एस.डी.एम. ऑफिस से विभिन्न तरह के प्रमाणपत्र जारी करने में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस सरकार ने ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाएं शुरू की हैं। सभी तरह के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया अब कंप्यूटराइज्ड हो गई है। अब तक भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्रोत रही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी अब ई–सिस्टम्स के जरिए कर दिया गया है। एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिजिटल हस्ताक्षर के जरिये अब प्रमाणपत्र जारी करेंगे। साथ ही नागरिक अब अपनी प्रमाणित प्रमाणपत्रों की जितनी भी कॉपी चाहें, ले सकते हैं।

30. नागरिकों की सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच कायम करने के लिये 12 सब–रजिस्ट्रार कार्यालयों का आधुनिकीकरण ई–सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में किया गया है और ऐसे तीन अन्य कार्यालयों में यह प्रक्रिया जारी है। अदालती शुल्क का भुगतान उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में ऑन–लाइन किया गया है।

31. दिल्ली को एक आधुनिक शहर बनाने की दिशा में वाई–फाई की सुविधा एक बड़ा सपना है। वह चाहे युवा हों, व्यापारी हों, छात्र हों, गृहणी हों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान हों, सबके साथ बातचीत में वाई–फाई की मांग एक बुनियादी जरुरत के रूप में सामने आई है। हमने चुनाव के पहले दिल्ली की जनता से निःशुल्क वाई–फाई सुविधा देने का वायदा भी किया था। सरकार बनने के बाद से ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया था। अब तक विभिन्न विशेषज्ञ समूहों के साथ इस दिशा में बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। कई मॉडल्स का अध्ययन किया जा चुका है। पहले चरण में दिल्ली के सभी कालेजों और ग्रामीण क्षेत्रों को निःशुल्क वाई–फाई सेवा

उपलब्ध कराई जायेगी। 2015–16 में इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रस्ताव है।

32. सुविधा–जनक व्यापार के लिए 'Ease of Doing Business' शब्दावली का इस्तेमाल अस्पष्ट और परंपरागत रूप से अपनी सुविधानुसार और परिस्थिति के हिसाब से किया जाता रहा है। यह सरकार 'Ease of Doing Business' की रुपरेखा और उद्देश्यों को अच्छी तरह समझती है और इसीलिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। अन्य बातों के अलावा यह समिति लाइसेंस देने की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करेगी। साथ ही यह समिति, सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने और उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के उपायों पर सुझाव देगी। इसके अलावा यह समिति 'सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम' लागू करने की दिशा में भी अपने सुझाव देगी। इस समिति की सिफारिशें 31 जुलाई, 2015 तक आ जाएंगी और उसके बाद दो महीने के भीतर इन सिफारिशों पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। हमने व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को दिल्ली में अपना व्यापार शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है। इस सरकार ने कारोबारियों को आश्वासन दिया है कि 'Ease of Doing Business' के माध्यम से दिल्ली बहुत जल्द व्यापार के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह बनने वाली है।

33. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विश्व की अन्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए हमारी सरकार वित्त एवं योजना विभाग में एक सेल स्थापित करने जा रही है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एकांश विदेशों से हमारे संबंध विकसित करने और विश्व भर से उत्कृष्ट तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सरकार के भीतर संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।

शिक्षा

34. अध्यक्ष महोदय, शिक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि किसी भी समाज में विकास और समृद्धि की दिशा में पहली सीढ़ी शिक्षा की ही है। जो समाज शिक्षा के पहले पायदान पर ठीक से कदम रखे बिना आगे बढ़ने की कोशिश

करता है उसकी समृद्धि और खुशहाली अन्ततः खोखली साबित होती है। इसलिए हमारी सरकार दिल्ली राज्य के नागरिकों का सुनहरा भविष्य लिखने के लिए एक ऐतिहासिक शुरूआत करने का प्रस्ताव रख रही है। मैं शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2015–16 के लिए 9,836 करोड़ रूपये का कुल व्यय प्रस्तावित करता हूँ। इसमें से 4,570 करोड़ रुपये योजना व्यय के लिए रखा गया है। यह पिछले वित्त वर्ष के 2,219 करोड़ रूपये के योजना व्यय से 106 प्रतिशत अधिक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि शायद देश में पहली बार कोई सरकार शिक्षा के बजट को 106 प्रतिशत अर्थात दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा रही है। यह स्वयं में प्रमाण है कि हमारी दिल्ली सरकार शिक्षा को कितनी प्राथमिकता से देखती है। मैं यहां साफ कर दूं कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तावित राशि को खर्च के रूप में नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों की खुशहाली व समृद्धि की दिशा में किए जा रहे निवेश के रूप में इस सदन में प्रस्तावित करने जा रही है।

35. अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में बजट प्रस्तावों को दोगुना करना एक ऐतिहासिक कदम है। हमारी सरकार इस ऐतिहासिक कदम की गंभीरता को समझती है। जनता की मेहनत की कमाई से इकट्ठा पैसे में से पाई–पाई का खर्चा बेहद जिम्मेदारी के साथ करना है इसका हमें अहसास है। इसलिए जब हम शिक्षा के बजट को दोगुने से ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो हमने स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यापक सुधार की योजनाएं भी बनाई हैं। इन योजनाओं के दो लक्ष्य हैं – पहला है, आने वाले कुछ वर्षों के अंदर दिल्ली को पूर्ण साक्षर राज्य बनाना और दूसरा है, शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना ताकि लगभग 20 साल की शिक्षा के दौरान छात्र में कौशल (स्किल) की दक्षता के साथ–साथ मूल्यों का भी समावेश हो सके।

36. दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने, कक्षाओं में सीखने–सिखाने का माहौल बनाने, शिक्षा को जीवन के लिए उपयोगी बनाने और अध्यापकों को सुविधाएं व सम्मान देने के लिए सरकार ने कई स्तर पर काम शुरू किया है। इसमें एक तरफ जहां अध्यापकों को मूल शिक्षा के साथ–साथ शिक्षा के मूल्य से जोड़ कर

प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं वहीं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक स्किल एजुकेशन पर भी जोर दिया जाने का प्रस्ताव है। सभी 1011 सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्यक्रम सरकार के एजेंडे में है लेकिन वर्तमान वित्त वर्ष में 50 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रुप में विकसित करने से इसकी शुरूआत हो रही है। इन 50 स्कूलों में पढ़ाई की सभी आधुनिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने, शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण किये जाने और उन्हे प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिन्हे एक साल की सफलता के बाद दिल्ली के सभी स्कूलों में लागू किया जायेगा।

37. दिल्ली के स्कूलों में छात्र–अध्यापक संख्या का अनुपात सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक–एक कक्षा में अगर एक अध्यापक को 80 से 100 छात्रों को पढ़ाना पड़ेगा तो शिक्षा का स्तर गिरना स्वाभाविक है। इस अनुपात को कम करने की दिशा में, 20,000 नये स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य तेजी से चल रहा है। जिसके इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

38. एक तरफ जहां सरकार स्कूलों को सुविधायें देने और शिक्षकों को सम्मान उपलब्ध कराने के प्रति कटिबद्ध है वहीं स्कूल के पूरे वातावरण में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने जा रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के सभी कक्षाओं में सी सी टी वी कैमरा लगाने की योजना है।

39. स्कूलों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अब "पे एंड प्ले" अर्थात् "भुगतान करो और खेलो" कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी खेल परिसर और स्टेडियम मामूली उपयोग शुल्क के भुगतान पर आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हैं।

40. इसी के साथ–साथ वर्तमान वित्त वर्ष में 236 नए स्कूलों का काम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 83 नई इमारतें बनाई जा रही हैं। इनमें से 20 का निर्माण कार्य चल रहा है, 25 स्कूलों की कार्य योजना बन चुकी है और 38 स्कूलों के लिए जमीन चिन्हित कर ली है। इन 83 इमारतों में दोहरी पालियों में 166 स्कूल चलाये जा

सकेंगे। साथ ही 70 ऐसे स्कूल चिन्हित किये गये हैं जो अभी एक ही पाली में चल रहे हैं लेकिन वहां पर छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए इन्हे दोहरी पाली में चलाने का प्रस्ताव है।

41. सरकारी स्कूलों के साथ–साथ दिल्ली में विभिन्न ट्रस्टों/समितियों के माध्यम से गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भी चलाये जा रहे हैं जिन्हे हम आम बोलचाल की भाषा में निजी स्कूल भी कहते हैं। इन निजी स्कूलों में से कई ने ना सिर्फ बेहतर काम किया है बल्कि दिल्ली में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने में अहम योगदान भी दिया है। लेकिन कुछ निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने और दाखिला प्रक्रिया में मनमानी करने, डोनेशन लेने आदि के गंभीर आरोप भी लगे हैं। हाल ही में गरीब बच्चों के लिए बनाई गई ई डब्लयू एस योजना में गड़बड़ियों के आरोप भी सामने आये हैं। निजी स्कूलों में दाखिले या फीस की शिकायतों को देखते हुए सरकार दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम 1973 में संशोधन के लिए अलग से एक बिल भी ला रही है। इसके तहत दाखिला एवं फीस निर्धारण प्रकिया को पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव इस सदन के सामने लाया जायेगा।

42. बुनियादी शिक्षा के साथ–साथ सरकार स्कूल स्तर से ही स्किल डेवलेपमेंट की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर बढ़ाएगी। आने वाले समय में 10 + 2 पास करते वक्त हर छात्र के हाथ में दो सर्टिफिकेट देने की योजना है – इसमें से एक सामान्य शिक्षा से संबंधित होगा ओर दूसरा स्किल से संबंधित होगा। इससे छात्रों के पास एक तरफ तो उच्च शिक्षा के अवसर खुले रहेंगे वहीं अपनी स्किल के आधार पर तुरन्त कोई रोजगार शुरू करने की संभावना भी रहेगी।

43. स्किल में दक्षता की मांग उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र से लगातार की जा रही है। इसलिए संबंधित क्षेत्रों के साथ चर्चा कर स्किल डेवलेपमेंट पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे। स्किल डेवलेपमेंट और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सर्टिफिकेट कोर्स के साथ–साथ डिप्लोमा और डिग्री लेवल पाठ्यक्रम शुरू किये जाने का भी प्रस्ताव है।

व्यवसायिक शिक्षा, स्किल डेवलेपमेंट पाठ्यक्रमों और डिप्लोमा/डिग्रियां में एक समान मानक और नीति का अनुसरण करने के लिए दिल्ली सरकार एक स्किल यूनीवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसमें पर्यटन, शहरी विकास, उद्योग, तकनीकी शिक्षा और स्कूली शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे स्किल पाठ्यक्रमों को एक समान व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा। सिंगापुर सरकार के सहयोग से चल रहे आईटीआई विवेक विहार स्थित वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर को विस्तार देकर जौनापुर में जल्द से जल्द शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

44. मंगोलपुरी में नए आईटीआई भवन का निर्माण किया गया है। यह आईटीआई चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्य प्रारंभ कर देगा। रन्होला, छतरपुर और बक्करवाला में 3 और आईटीआई खोलने का प्रस्ताव है। दिल्ली में पांच नए पोलिटेक्निक खोलने का प्रस्ताव है, जिनमें उत्तर, उत्तर–पूर्वी, मध्य, नई दिल्ली और पश्चिमी जिले में एक–एक पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना शामिल है।

45. शैक्षिक सत्र 2015–16 से प्रत्येक सरकारी पोलिटैक्निक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू करते हुए 100 सीटों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए एआईसीटीई से मंजूरी पहले ही प्राप्त हो चुकी है। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम मौजूदा पोलिटैक्निक परिसरों में शुरू किए जाएंगे।

46. शिक्षा क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015–16 के बजट में करीब 310 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

47. सूरजमल विहार में जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय के दूसरे परिसर का निर्माण चालू वित्त वर्ष के दौरान 271 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ शुरू किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज परिसर का निर्माण चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा और शहीद सुखदेव कॉलेज आफ बिजनेस स्टडीज़ का निर्माण कार्य अगस्त, 2016 तक पूरा हो जायेगा। उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, उसमें समानता और

गुणवत्ता लाने के लिए 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)' कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

48. अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, नए व्यापार विचारों और प्रौद्योगिकी के पोषण तथा इन विचारों को वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम उत्पादों/सेवाओं में तब्दील करने के लिए, विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नए उद्यम स्थापित करने के लिए दिल्ली को एक आकर्षक केन्द्र बनाया जायेगा, जिससे शहर में रोजगार और व्यापार की गतिविधियों में वृद्धि होगी।

49. दिल्ली का कोई छात्र आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा अथवा स्किल एजुकेशन से वंचित न रहे इसके लिए सरकार ने देश में पहली बार एक महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना शुरू की है। इसके तहत दिल्ली के हर छात्र को, वह चाहे किसी भी वर्ग अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, उच्चतर शिक्षा में जाने के लिए 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण प्रदान किए जायेंगे। इसके लिए छात्र को किसी कोलेटरल या मार्जिन मनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऋण के लिए गारंटी सरकार प्रदान करेगी। चालू वित्त वर्ष में 30 करोड़ रुपये की आधारभूत निधि के साथ उच्चतर शिक्षा ऋण गारंटी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि सरकार विद्यार्थियों के शिक्षा एवं कौशल विकास ऋण की गारंटी प्रदान कर सके।

50. नेताजी सुभाष प्रोद्योगिकी संस्थान को एक विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत करने की योजना है। इससे शैक्षिक विस्तार और अनुसंधान और विकास की संस्थान की योजनाओं को बल मिलेगा। पॉच वर्ष की अवधि में संस्थान में सीटों की संख्या वर्तमान 3000 से बढ़ाकर 12000 की जाएगी। संस्थान के परिसर के विकास के लिए अतिरिक्त धन निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य

51. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर स्थिति दिल्लीवासियों की खुशहाली और विकास में एक बहुत बड़ी कमी है। निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य

देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, समग्र ढंग से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना भी सरकार की प्राथमिकता है। मैं वर्ष 2015–16 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल 4,787 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित करता हूं। इसमें 3,138 करोड़ रुपये योजना व्यय के रुप में शामिल हैं, जो 2014–15 के 2164 करोड़ रुपये योजना व्यय से 45 प्रतिशत अधिक है।

52. हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए हमारी सरकार ने सभी निर्माणाधीन नई अस्पताल परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा शुरू की है। दिल्ली की आबादी के हिसाब से अस्पताल में बिस्तर की आवश्यकताओं के सामंजस्य के लिए हमारी सरकार ने इन नई अस्पताल परियोजनाओं के संदर्भ में एक बड़ी नीतिगत पहल की है। निर्माण एजेंसियों और अस्पताल प्रबंधन एजेंसियों, दोनों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के बाद हम इन नए अस्पतालों की बिस्तर क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। इस दिशा में द्वारका स्थित अस्पताल–एवं–चिकित्सा कॉलेज की 700 बिस्तर की निर्धारित क्षमता को अब बढ़ा कर 1500 बिस्तर करने का प्रस्ताव है। बुराड़ी में नए अस्पताल की क्षमता, जो पहले 200 बिस्तर की निर्धारित की गई थी, वह अब बढ़ कर 800 बिस्तर हो जायेगी। इसी प्रकार अम्बेडकर नगर में निर्माणाधीन अस्पताल परिसर में बिस्तरों की क्षमता अब बढ़ा कर 600 बिस्तर कर दी गई है जो पहले 200 बिस्तर निर्धारित की गई थी। अशोक विहार में दीपचंद बंधु अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता 400 होगी जो मूल रूप में 200 प्रस्तावित की गई थी। नांगलोई, सिरसपुर और मादीपुर में 1800 बिस्तर क्षमता के साथ 3 नए अस्पताल बनाने की योजना है।

53. सरकार महरौली–महिपालपुर, पीतमपुरा, मंडावली–फाज़लपुर, गीताकालोनी, पांडव नगर और द्वारका में दिल्ली विकास प्राधिकरण से 10 नए प्लॉट खरीदने की योजना बना रही है ताकि स्वास्थ्य ढांचे में और बढ़ोतरी की जा सके। अगले 2 वर्षों में 11 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देने और उनके उन्नयन की योजना है ताकि बिस्तरों की क्षमता में 4000 बिस्तर और जोड़े जा सकें। चालू वित्त वर्ष के दौरान विस्तार कार्य प्रारंभ करने तथा प्लॉट खरीदने हेतु 210 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

54. सरकार पूरी दिल्ली में 'मोहल्ला क्लीनिक' स्थापित करने की योजना बना रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसे करीब 500 केंद्र खोले जाएंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य दिल्ली में चालू वित्त वर्ष के दौरान आधुनिक सुविधाओं वाली 5 केंद्रीकृत प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ताकि मोहल्ला क्लीनिक में आने वाले रोगियों को जांच–पड़ताल संबंधी सेवाएं प्रदान की जा सकें। मोहल्ला क्लीनिक के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में वृद्धि के लिए 125 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

55. मोलड़बंद (गौतमपुरी), मदनपुर खादर फेस–1, मदनपुर खादर फेस–2, बिंदापुर पॉकेट–3, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, रोहिणी सेक्टर–4, रोहिणी सेक्टर–21 और सावदा घेवरा में 08 औषधालय भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

56. गुर्दा खराब होने से पीड़ित निर्धन रोगियों को मुफ़्त डायलिसिस सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी–निजी–भागीदारी (पीपीपी) परियोजना के अंतर्गत राजीव गांधी सुपर स्पैशिएलिटी अस्पताल और लोकनायक अस्पताल में 40 यूनिटें चालू की गई हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसी 35 और यूनिटों की स्थापना की जाएगी।

57. कैट–एम्बुलेंस के मौजूदा बेड़े में 100 बुनियादी और 10 अत्याधुनिक मानक जीवन–रक्षक एम्बुलेंस गाड़ियां सरकारी–निजी–भागीदारी के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है।

58. सरकार लोकनायक अस्पताल में नया अत्याधुनिक ट्रॉमा उपचार केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है जो विशेष रूप से खेलों के दौरान घायल होने वाले खिलाड़ियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा और उसमें आईसीयू तथा ऑपरेशन थिएटर सुविधाओं सहित 100 ट्रॉमा बिस्तरों की व्यवस्था होगी।

59. 42 प्राइवेट अस्पतालों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए ऑनलाइन निःशुल्क बिस्तर बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। रैनबसेरों और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी।

60. सरकार 'इन्द्रधनुष कवच' के कार्यान्वयन के जरिए एक अभियान के रूप में सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम को लागू कर रही है ताकि उन सभी बच्चों को इसके दायरे में लाया जा सके जिनका टीकाकरण अभी तक नहीं हुआ है।

61. दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में पंजीकरण और उपचार हेतु आम जनता के लिए व्यक्तिगत हैल्थ कार्ड जारी करने की योजना है। इससे हर मरीज का स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड भी डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जा सकेगा।

62. मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा दिल्ली के नागरिकों को धर्मार्थ क्लिनिकों/औषधालयों के जरिये मुफ्त दवायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

63. सभी दवायें, उपभोग्य सामग्री और मेडिकल/सर्जिकल उपकरणों की खरीद केन्द्रीयकृत सरकारी खरीद एजेंसी के जरिये की जायेगी। इस प्रक्रिया से न केवल खरीद लागत में कमी आयेगी बल्कि भ्रष्टाचार रोकने में भी मदद मिलेगी।

64. सितम्बर 2014 में शुरू हुए रोहिणी स्थित 100 सीटों वाले डा. बी एस ए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके लिए केन्द्र सरकार और मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया से जल्द से जल्द मंजूरी के प्रयास किये जा रहे है ताकि अगले सत्र से यहां पहला बैच शुरू किया जा सके।

65. आयुर्वेद, नैचूरोपैथी, होम्योपैथी व यूनानी जैसी स्वदेशी स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाने का प्रस्ताव है।

66. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने खाद्य व्यापार प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए एक सुविधा केंद्र खोला है और लाइसेंस जारी करने की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की गई है ताकि संचालन लागत में कमी लाई जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार अभी तक करीब 34,000 खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) का या तो पंजीकरण किया जा चुका है या इन्हे लाइसेंस जारी

किए जा चुके हैं। 2015–16 में 40,000 और लाइसेंस जारी किए जाने की संभावना है। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यापार संचालकों के लिए अधिनियम के प्रावधानों को अधिक निवारक और कड़ा बनाया जा रहा है।

परिवहन

67. अध्यक्ष जी, जाने–माने चिंतक एनरिक पेनालोसा ने कहा है कि "विकसित देश वह नहीं है जहां गरीबों के पास कार हो बल्कि वह है जहां अमीर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हों"। सक्षम और सम्भ्रांत वर्ग के लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल तभी करेंगे जब वह भरोसेमंद, सुरक्षित और विश्वसनीय हो तथा निजी वाहन के इस्तेमाल की लागत और कठिनाई के मुकाबले अधिक सुविधाजनक हो।

68. मैंने स्मार्ट सिटी की बात की है और मेरे विचार में स्मार्ट सिटी वह है जिसमें वाहनों की गतिशीलता की बजाय लोगों की गतिशीलता पर ध्यान केन्द्रित किया गया हो, जिसमें गतिशीलता पहुंच एवं सामर्थ्य के भीतर हो, जिसमें नागरिक कुचले जाने के भय से मुक्त होकर पैदल चल सकें और साइकिल चला सकें। ऐसे शहर में यात्रा और यातायात के बारे में जानकारी संप्रेषित की जाती है ताकि लोग अपने सफर की योजना बना सकें। स्मार्ट शहर में सार्वजनिक स्थान का बंटवारा समानता के आधार पर होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए कि अधिक संपन्न को अधिक स्थान मिले।

69. 2015–16 में परिवहन क्षेत्र के लिये कुल प्रस्तावित व्यय 5085 करोड़ रुपये है। मैं परिवहन क्षेत्र के लिये योजना बजट के रुप में 3695 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं, जो 2014–15 में व्यय की गयी राशि से 23 प्रतिशत अधिक है। मैं निजी क्षेत्र की व्यापक वित्त व्यवस्था के जरिये सड़क क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। सड़कों के विकास, प्रचालन और रखरखाव में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए सावर्जनिक–निजी–भागीदारी का एक समुचित मॉडल तैयार किया जायेगा।

70. सरकार 2016 के अंत तक डीटीसी के अंतर्गत करीब 1380 सेमी लो–फ्लोर बसें, 500 मिडी बसें खरीदेगी और क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत 1000 नई बसें जोड़ी जायेंगी। हम

यात्रियों की अलग–अलग तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न विशेषताओं वाली 10,000 बसे सार्वजनिक–निजी–भागीदारी क्लस्टर योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र से लाने का प्रस्ताव करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें बस–डिपो बनाने के वास्ते डीडीए से करीब 500 एकड़ जमीन प्राप्त करनी होगी। हमारी सरकार बस डिपो के लिए निशुल्क भूमि के आवंटन के वास्ते शहरी विकास मंत्रालय के साथ बातचीत कर रही है। लोगों को सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है। हमें बसों के लिये निर्धारित विशेष लेन बनाने होंगे ताकि बसों की आवाजाही निर्बाधित और सुचारु हो।

71. एनसीआर में प्रचालन के लिए करीब 5500 नए आटो परमिट जारी किए जा रहे हैं। द्वारका, रोहिणी सेक्टर 28 और नरेला में नए बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। इन टर्मिनलों में बस यात्रियों, विशेष कर महिला बस यात्रियों के लिए सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करीब 1200 नए बस क्यू शेल्टर बनाने का भी प्रस्ताव है।

72. मेट्रो परियोजना के फेस–III में 6 कॉरीडोर बनाए जा रहे हैं जिससे दिल्ली में 117.57 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। फेस–III के दो कॉरिडोर चालू वित्त वर्ष में पूरे होने की आशा है। केंद्रीय सचिवालय से आईटीओ तक मेट्रो लाइन जून, 2015 में चालू कर दी गई है और कश्मीरी गेट तक इसका विस्तार मार्च, 2016 तक पूरा हो जाएगा। जहांगीरपुरी से बादली कॉरीडोर का निर्माण कार्य भी इस वित्त वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। मुकुंदपुर–शिवविहार, जनकपुरी पश्चिम–कालिंदीकुंज, द्वारका–नजफगढ़ और मुंडका से बहादुरगढ़ के बीच मेट्रो का निर्माण कार्य दिसंबर, 2016 तक पूरा किया जाना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 64 मेट्रो फीडर रूट पर करीब 304 नई मिनी बसें शुरू की जाएंगी। मैं चालू वित्त वर्ष में डीएमआरसी के लिए 1217 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूं।

73. बारापुला नाला पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आईएनए (अरबिंदो मार्ग) तक एलिवेटिड रोड का दूसरा चरण चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा होने जा रहा है। इस

एलिवेटिड रोड के तीसरे चरण के दौरान सराय काले खां से मयूर विहार तक निर्माण कार्य चालू वित्त वर्ष में शुरू किया जा चुका है।

74. "विकासपुरी से वजीराबाद कॉरिडोर" की कम्पोजिट परियोजना चालू वित्त वर्ष में पूरी की जाएगी, जिसके अंतर्गत ऐलिवेटिड रोड और फ्लाईओवर शामिल हैं। इससे आउटर रिंग रोड पर 20 किलोमीटर मार्ग सिग्नल फ्री हो जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज परियोजना का निर्माण कार्य लगभग 75 प्रतिशत पूरा हो गया है। यह पुल जून, 2016 में यातयात के लिए खोल दिया जाएगा।

75. "बाहरी रिंग रोड पर राव तुलाराम जंक्शन पर समानांतर फ्लाई–ओवर के निर्माण और बी.जे. मार्ग–रिंग रोड जंक्शन पर अंडरपास के निर्माण" की एक परियोजना 314 करोड़ रुपये की लागत से शुरु की गयी है और इसे अगले वर्ष तक पूरा किया जायेगा।

76. अंतिम मील तक संचार कायम करने के लिए हम दिल्ली में ई–रिक्शा को बढ़ावा दे रहे हैं। ई–रिक्शा के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए और इन शिविरों में करीब 24000 ड्राइवरों का पंजीकरण किया गया। ई–रिक्शा के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बना दी गयी है। ये वाहन पर्यावरण अनुकूल हैं, इसे देखते हुए वायु परिवेशी कोष से ई–रिक्शा चालकों को ई–रिक्शा की खरीद पर 15000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है।

77. भूमि उपयोग योजना और परिवहन के बीच जटिल और गहन संबध है। यूटिपैक का प्रतिनिधित्व केवल नौकरशाहों द्वारा किया जाता है और नतीजतन उसमें लोगों की आवाज पर्याप्त रूप में नहीं सुनी जा रही है। मैंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि यदि दिल्ली को एक स्वस्थ, रहने योग्य, समानता पर आधारित शहर के रूप में अपना अस्तित्व कायम करना है तो यह अनिवार्य है कि भूमि उपयोग योजना दिल्ली सरकार को सौंपी जाये, क्योंकि विकसित शहर की अवधारणा किसी नौकरशाह के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की कल्पना नहीं है, बल्कि लोगों की धड़कन और जरूरतों पर आधारित होती है।

78. सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत करने और उसके बारे में सूचना संप्रेषित करने की आवश्यकता है। आज सार्वजनिक परिवहन में सूचना का अभाव है। हमारी सरकार यात्रियों को वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करने के लिये 'यात्री सूचना प्रणाली' शुरू करेगी। इसे और अधिक एकीकृत करते हुए मोबाइल अनुप्रयोग में उपलब्ध कराया जायेगा। हम किराये के भुगतान के लिये एकल यात्रा माध्यम प्रणाली शुरू करने की दिशा में काम करेंगे।

महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा

79. महिला संरक्षा और सुरक्षा हमारी सरकार की कार्यसूची में सर्वोपरि है। हम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध हैं। मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक नए उपाय प्रस्तावित करता हूं। यह जरूरी है कि दिल्ली में बस यात्री, विशेषकर महिलाएं यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस करें। हम सभी डीटीसी बसों और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव करते हैं। डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का एक प्रायोगिक कार्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और सभी क्लस्टर बसों में मार्शल तैनात करने का फैसला किया है ताकि अपराध का भय समाप्त हो और महिला यात्री संरक्षित और सुरक्षित महसूस करें। ये मार्शल होमगार्ड और सिविल डिफेंस से लिए जाएंगे और उन्हें अप्रिय घटनाएं रोकने, विशेषकर सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए भलीभांति प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे न केवल महिलाओं के साथ छेड़खानी और हिंसा की घटनाएं रुकेंगी, बल्कि वे अधिक भरोसे के साथ सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने टैक्सियों और ऑटो सहित सभी सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है ताकि वाहन की स्थिति का पता लगाया जा सके। अकेले इस कार्य के लिये हम चालू वर्ष में योजना निधि के अंतर्गत 160 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करते हैं।

80. सभी यात्री सेवा वाहनों के चालकों और संवाहकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने वाहनों के वार्षिक सड़क उपयुक्तता निरीक्षण के नवीकरण के समय महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लें।

81. शहर में कामकाजी महिलाओं के लिये हॉस्टल सुविधाओं की भारी कमी है। निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ सरकार की 6 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाने की योजना है।

82. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा घोषित नयी शिक्षा ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत महिला विद्यार्थियों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों के जरिये शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिये कोई कोलेट्रल अथवा मार्जिन मनी जमा कराने से छूट के साथ ही सामान्य से कम ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा।

83. सरकार स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में क्रेच सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रही है। इसके लिए समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 300 क्रेच शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा संचालित गृहों/संस्थानों में रह रहे करीब 1200 बच्चों को कौशल विकास और आजीविका कमाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के सहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

84. हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और माताओं को सामुदायिक सहायता और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने तथा 6 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार और स्कूल–पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिये एकजुट प्रयास करेगी। हम आंगनवाड़ी केन्द्रों को अधिक खुले स्थानों पर स्थानांतरित करेंगे ताकि बेहतर संचालन स्थितियां उपलब्ध कराई जा सकें। सेवा वितरण में सुधार और कड़े गुणवत्ता नियंत्रण के जरिये आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरित किये जाने वाले गर्म पके खाने और पहले से तैयार भोजन की गुणवत्ता बढ़ाई जायेगी। सरकार 0–6 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों के लिये क्रेच शुरु करने पर भी विचार कर रही है, जिनकी माताएं काम पर जाती हैं। इसके लिये चुने हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्तमान सुविधाओं को

उन्नत बनाया जायेगा। पहले वर्ष के दौरान ऐसे 300 आंगनवाड़ी केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है, जो विशेष रुप से स्लम, झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों और पुनर्वास कॉलोनियों में विकसित किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्परों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन और स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन के लिये प्रोत्साहित करने के वास्ते सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करती है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

85. वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के पारदर्शी और सक्षम कार्यान्वयन के लिए सरकार हर–संभव उपाय कर रही हैं। इनके अतंर्गत लाभार्थियों की जांच की जाती है और सहायता का वितरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए किया जाता है। इन कार्यक्रमों में वृद्धा अवस्था पेंशन, भिन्न दृष्टि से सक्षम व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता और पीड़ित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम शामिल है। इन तीन कार्यक्रमों के अंतर्गत करीब 5 लाख व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मैं वर्ष 2015–16 के बजट में, 927 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूं।

86. नए वृद्धावस्था आश्रम बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहीत की गई है। पहले चरण में चालू वित्त वर्ष के दौरान कांतिनगर, चितरंजनपार्क, रोहिणी, पश्चिम विहार और छतरपुर में नए वृद्धावस्था आश्रम का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

87. सीमांत और उपेक्षित समूहों के कल्याण के अंतर्गत कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किंग्सवे कैम्प में और कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्राओं के लिए तिमारपुर में किया जाएगा। मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के लिए नरेला में एक समेकित परिसर के निर्माण की बड़ी परियोजना प्रस्तावित है।

88. दिल्ली के निवासी ड्यूटी के समय सर्वोच्च बलिदान करने वाले रक्षा सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों के सदस्यों का सम्मान करने के लिए सरकार ने उनके परिवार को

एक करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्णय किया है। इसमें से 50 लाख रुपये तत्काल दिए जाएंगे और शेष 50 लाख रुपये जमा योजना के अंतर्गत रखे जाएंगे जो निकटतम संबंधी को 10 वर्ष बाद मिलेंगे। दिल्ली पुलिस, होमगार्ड, दिल्ली सिविल डिफेंस कार्मिकों के मामले में भी ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान की स्थिति में मुआवजे की समान राशि अदा की जाएगी।

89. सरकार ने मौसम और जलवायु संबंधी कारणों से फसल नष्ट होने की स्थिति में 20,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया है।

90. अध्यक्ष जी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों से वंचित हैं, हालांकि हमारी कुल श्रम शक्ति में उनकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। समूची दिल्ली में श्रमिक सुविधा केंद्रों की स्थापना के जरिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इन श्रमिकों का पंजीकरण शुरू किया जाएगा। ये केंद्र एकल खिड़की सेवा प्रदान करते हुए श्रमिकों के पंजीकरण के अलावा विभिन्न लाभ प्राप्त करने में श्रमिकों का मार्गदर्शन करेंगे। निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को न्यूनतम अधिसूचित दिहाड़ी का भुगतान और बेहतर कल्याण सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक विकास मिशन प्रारंभ किया गया है।

91. दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत करीब 65 लाख लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमने 42 उचित दर दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस (पी.ओ. एस.) के जरिए बिक्री के बारे में एक सफल प्रयोग किया है। यह प्रस्ताव है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी उचित दर दुकानों से दैनिक बिक्री पी.ओ.एस. डिवाइस के जरिए की जाएगी ताकि पात्र परिवारों को अनाज का वितरण अधिक पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके।

जलापूर्ति एवं स्वच्छता

92. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रत्येक परिवार को पाइप लाइन के जरिए पेयजल आपूर्ति करने के प्रति वचनबद्ध है। 800 से अधिक अनधिकृत कालोनियां अभी भी पानी की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं। दिल्ली में इन सभी अनधिकृत कालोनियों को अगले 3 वर्षों में समयबद्ध रूप से पाइप लाइन के जरिए जलापूर्ति की जाएगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसी ढाई सौ कालोनियों में इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा।

93. बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए अपेक्षित गुणवत्ता का शोधित पेयजल का उत्पादन एक भारी चुनौती है। पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता के कारण हमारे लिए यह कार्य और भी जटिल हो जाता है। हमने पिछले वर्ष की जल शोधन क्षमता 835 एमजीडी से बढ़ा कर चालू वर्ष के दौरान 880 एमजीडी पर पहुंचाते हुए इस चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। हमारा प्रयास है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक जल उत्पादन में और वृद्धि करते हुए इसे 900 एमजीडी तक पहुंचाया जाए। इरादतनगर में एक नया जल शोधन संयंत्र लगाया जाएगा और चंद्रावल और वजीराबाद में मौजूदा जल शोधन संयंत्रों की पुनर्स्थापना की जाएगी ताकि दिल्ली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल उत्पादन में और बढ़ोतरी की जा सके।

94. पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, हमारी सरकार मल–जल उपचार संयंत्रों (STP) के उपचारित उत्सर्जित पानी का अन्य कार्यों में इस्तेमाल बढ़ाने की योजना बना रही है। इन संयंत्रों से 410 एमजीडी उपचारित उत्सर्जित जल पैदा होता है, जिसमें से केवल 150 एमजीडी काम में लाया जा रहा है। इस पानी की आपूर्ति बागवानी, औद्योगिक और अन्य गैर–घरेलू इस्तेमाल हेतु आवश्यक ट्रंक नेटवर्क बिछाने का एक नया कार्यक्रम तैयार किया गया है। इससे पेयजल पर दबाव कम होगा और इस बहुमूल्य संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा।

95. अध्यक्ष जी, दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले 4 महीनों में सराहनीय कार्य किया है। बोर्ड ने द्वारका और बवाना में नए जल शोधन संयंत्र चालू कर दिए हैं, जिनका निर्माण कई वर्ष पहले किया गया था। दिल्ली जल बोर्ड ने द्वारका उप–नगर की जलापूर्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण से अपने हाथ में ले ली है, जिससे जलापूर्ति में और सुधार आया है। द्वारका और बवाना जल शोधन संयंत्रों के कमान क्षेत्र में चार कमान टैंकों और अनेक भूमिगत जलाशयों के चालू हो जाने से कई नई कालोनियों और गांवों में पाइप के जरिए जलापूर्ति शुरू की गई है।

96. अध्यक्ष जी, अनेक अनधिकृत कालोनियों में जलापूर्ति और सीवर सेवाओं का विस्तार किया गया है, लेकिन विकास शुल्क अधिक होने की वजह से कालोनियों के निवासी पानी और सीवर के कनेक्शन लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इससे मौजूदा ढांचे का उपयोग नहीं हो पा रहा है और इन कालोनियों के लोग सेवाओं से वंचित हैं। इसलिए अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले शहरी निर्धनों को बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने की हमारी सरकार की वचनबद्धता को देखते हुए पानी के कनेक्शन के लिए विकास शुल्क 440 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटा कर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसी प्रकार 200 वर्ग मीटर तक आकार वाले प्लॉट के लिए सीवर कनेक्शन हेतु विकास शुल्क 494 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटा कर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। अनधिकृत कनेक्शन को नियमित कराने का शुल्क भी 18000 रुपये से घटा कर 3300 रुपये कर दिया गया है।

97. वाटर टैंकरों पर प्रभावी, सतत और कड़ी निगरानी रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावकारी इस्तेमाल करते हुए हमारी सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने में सफल रही है। 400 से अधिक टैंकरों में जीपीएस और वाटर सेंसर्स लगाए गए हैं और एक वेब आधारित प्रणाली के जरिए उनके संचालन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। ''वाटर टैंकरों पर सार्वजनिक निगरानी'' के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है ताकि लोग वाटर टैंकरों की स्थिति, अपनी कालोनी में टैंकर

के पहुंचने के अनुमानित समय और आने वाले टैंकर में पानी की मात्रा का पता लगा सकें।

98. अध्यक्ष जी, अनधिकृत कालोनियों में सीवर सेवाएं प्रदान करने की प्रगति अभी तक धीमी रही है। इसकी वजह यह रही है कि अभी तक हम बड़े, गहरे ट्रंक सीवरों और बड़े सीवर उपचार संयंत्रों के मॉडल को अपनाते रहे हैं, जिसमें अधिक पूंजी और अधिक समय खर्च होता है। इसलिए हमारी सरकार विकेंद्रीकृत जलापूर्ति और उत्सर्जित जल उपचार मॉडल को अपनाएगी। इसके लिए 10 कालोनियों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विकेंद्रीकृत ढंग से पानी और सीवर सुविधाओं के प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने के लिए "जन जल प्रबंधन योजना" नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

99. अध्यक्ष जी, यमुना में प्रदूषण कम करना और नदी का जीर्णोद्धार हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। अभी तक कवर न किए गए क्षेत्रों में सीवर सेवाएं प्रदान करने और नजफगढ़ नाले और सप्लीमेंटरी नाले में गैर–उपचारित उत्सर्जित जल का प्रवाह रोकने के लिए 3,656 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ी परियोजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत 15 नए सीवर उपचार संयंत्र, 3 नए मल–जल पंपिंग स्टेशन और परिधीय सीवर नेटवर्क की स्थापना शामिल है। यमुना नदी में करीब 70 प्रतिशत प्रदूषण इन नालों के कारण होता है। इसलिए, यह परियोजना यमुना नदी में प्रदूषण कम करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। परियोजना को 2 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा और इससे यमुना नदी के जीर्णोद्धार और उसे स्वच्छ बनाने में व्यापक सफलता मिलेगी।

100. यमुना नदी में प्रदूषण में और कमी लाने के लिए नजफगढ़, सप्लीमेंटरी और शाहदरा नालों के साथ इंटरसेप्टर सीवर प्रणाली बिछाने की परियोजना के काम में तेजी लाई जाएगी। परियोजना के 6 पैकेजों में से 3 आंशिक रूप से चालू हो गए हैं और शेष पैकेज भी अगले 1 वर्ष में चालू हो जाएंगे। गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकने

और निकटवर्ती सीवर उपचार संयंत्र में उसका उपचार करने से यमुना नदी के प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी आएगी।

101. 6 नए मल–जल उपचार संयंत्रों के चालू हो जाने से मल–जल उपचार क्षमता 590 एमजीडी से बढ़ कर 684 एमजीडी हो गई है। ओखला, कोंडली और रिठाला स्थित सीवर उपचार संयंत्रों की पुनर्स्थापना की भी योजना बनाई गई है ताकि उपचारित उत्सर्जित जल की गुणवत्ता और उपचार क्षमता में सुधार लाया जा सके। घिटोरनी स्थित सीवर उपचार संयंत्र को चालू करने का काम भी प्रगति पर है। इन सीवर उपचार संयंत्रों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा और चालू वित्त वर्ष के दौरान 100 अन्य कालोनियों में सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा।

102. अध्यक्ष जी, दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी ऊर्जा निर्भरता में कमी लाने और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके लिए बोर्ड गैस आधारित बिजली, सौर ऊर्जा और पनबिजली पैदा करने के लिए कार्य कर रहा है। गैस आधारित बिजली पैदा करने का कार्य 3 सीवर उपचार संयंत्रों में शुरू किया गया है और यह लक्ष्य रखा गया है कि विभिन्न संयंत्रों में गैस आधारित बिजली का उत्पादन बढ़ा कर प्रतिदिन एक लाख यूनिट किया जाएगा। सभी जल और सीवर उपचार संयंत्रों में सौर ऊर्जा पैदा करने का काम सार्वजनिक–निजी–भागीदारी मॉडल पर शुरू किया जाएगा। यथासंभव पनबिजली पैदा करने की संभावनाओं की भी तलाश की जा रही है।

103. नागरिकों को जल और सीवर सुविधाएं सक्षम और अनुकूल ढंग से प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। नागरिकों द्वारा "स्वयं मीटर रीडिंग और बिल तैयार करने" तथा अन्य सेवाओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा। हम "ई–कनेक्शन मॉड्यूल" पर भी कार्य कर रहे हैं ताकि नागरिक बिना किसी परेशानी के अपने कम्प्यूटर या मोबाइल फोन के जरिए एक बार में ही जल और सीवर कनेक्शन इलेक्ट्रोनिक ढंग से प्राप्त कर सकें।

104. मैं जलापूर्ति क्षेत्र के लिए 2015–16 में 1468 करोड़ रुपये के योजना बजट का प्रस्ताव करता हूं।

आवास और शहरी विकास

105. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार भली–भांति समझती है कि दिल्ली में सस्ते मकान सभी के लिए, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों के लिए, एक सपना है। हम स्लम बस्तियों में रहने वाले निर्धनों के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध हैं। करीब 23000 ईडब्ल्यूएस मकान पहले ही बनाए जा चुके हैं और करीब 29000 मकान अभी तक निर्माण के अलग अलग चरणों में हैं। इन मकानों के आवंटन के बारे में एक नीति की जल्दी ही घोषणा की जाएगी।

106. हमारा विश्वास है कि रहने के लिए गरिमापूर्ण स्थान और आजीविका के साधन मानव के अस्तित्व की मूलभूत जरूरतें हैं। स्लम पुर्नविकास की हमारी नीति व्यावहारिक और मानवीय होगी। हमारी सरकार का प्रस्ताव है कि स्लम पुनर्विकास कार्यक्रम की सार्थक शुरूआत करने के लिए उपलब्ध मकानों और रिक्त स्थलों का इस्तेमाल किया जाए। इस दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और निजी विकासकों सहित अन्य संबद्ध पक्षों के साथ परामर्श और सहयोग से एकजुट प्रयास किये जाऐंगे। सरकार आवास क्षेत्र को दिल्ली के निवासियों की एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता पूरी करने वाले क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देगी। हमारा प्रयास होगा कि स्लम निवासियों को यथासंभव उनके काम करने के स्थान अथवा रिहायशी स्थान के निकट मकान उपलब्ध कराएगी। हम स्लम बस्तियों के विकास के लिए एक नीति तैयार करेंगे, जिसके फलस्वरूप स्लम बस्तियों का विकास उसी स्थान पर संभव हो जाएगा।

107. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार इस तथ्य से वाकिफ है कि दिल्ली का विस्तार तेजी से हो रहा है, फिर भी इस विशाल शहर से भीड़भाड़ को दूर करने की आवश्कता है। इस बारे में हम भारत सरकार के साथ पहले ही बातचीत कर चुके हैं और दिल्ली में भीड़

दूर करने के उपाय करेंगे। इस प्रयोजन के लिए पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग, क्षेत्रीय रेपिड ट्रेन प्रणाली, मेट्रो फेज–3 और 4 मार्ग उन्मुखी विकास परियोजना, सड़कों में सुधार और ढांचागत कार्यों आदि को शीघ्र पूरा करने सहित विभिन्न उपलब्ध नीति विकल्पों पर हम विचार करेंगे।

108. अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि 45 पुनर्वास कालोनियों के निवासी दशकों से अपने लीज होल्ड प्लॉट के लिए व्यावहारिक और युक्तिसंगत अधिकारों का इंतजार कर रहे हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उनके छोटे प्लॉट के फ्री होल्ड अधिकार दिए जाएं। हम डी.यू.एस. आई. बी. में पहले ही यह संकल्प कर चुके हैं कि मूल आबंटियों और उनके कानूनी वारिसों को 10,000 रुपये प्रति वर्गमीटर और अन्य लोगों को 50,000 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से फ्री होल्ड अधिकार दिये जाएंगे। इससे उन्हें बेहतर मदद के अतिरिक्त शोषण से मुक्ति मिलेगी।

109. हमारी सरकार अनियोजित कालोनियों के अधिसंख्य निवासियों के हितों की रक्षा के प्रति बचनबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोग अपनी संपत्तियों का कानूनी रूप में हस्तांतरण कर सकें और सुरक्षित ढंग से संपत्तियों का पंजीकरण करा सकें। प्रयोग के तौर पर छह अनियोजित कालोनियों के लिए हम अगले कुछ दिनों में सीमाओं के मानचित्र नगर निगमों को भेजेंगे। हम अगले एक–दो हफ्ते में पंजीकरण की दरों के बारे में दिशा–निर्देश भी जारी करेंगे। हम इन कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करेंगे।

110. अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने और इन कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, सरकार ने राजस्व विभाग की देखरेख में टीएसएम सर्वेक्षण कराने का निर्णय किया है ताकि इन कॉलोनियों की सीमाओं का निर्धारण किया जा सके। इसके बाद नक्शे मंजूरी के लिए नगर निगमों को भेजे जाएंगे। अनधिकृत कालोनियों में पहले से किए जा चुके और अपेक्षित विकास कार्यों के मानचित्र तैयार किए जाएंगे ताकि इन कालोनियों में नए विकास कार्य शुरू करने संबंधी निर्णय प्राथमिकता के आधार पर किए जा सकें।

111. दिल्ली में भविष्य में अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए जीएसडीएल नियमित अंतराल पर उपग्रह चित्र आंकड़े राजस्व विभाग को प्रदान करेगा, जिनमें नए अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण स्पष्ट रूप से रेखांकित किए जाएंगे ताकि उन्हें रोकने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी समुचित कार्रवाई कर सकें।

112. चालू वित्त वर्ष के दौरान शहरी विकास के अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मैं 2015–16 में आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए 1793 करोड़ रुपये के योजना व्यय का प्रस्ताव करता हूँ। अनधिकृत कालोनियों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मैं वर्ष 2015–16 में 905 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं, जो 2014–15 में किए गए व्यय की तुलना में करीब 32 प्रतिशत अधिक है।

उर्जा

113. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों के भीतर समूची दिल्ली में परिवारों के बिजली के बिलों में कमी करने का अपना वायदा पूरा कर दिया है। हम इस सम्मानित सदन के जरिए दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिजली की चोरी करने वाले लोगों पर भारी जुर्माने लगाते हुए सख्ती से निपटा जाएगा।

114. सरकार का प्रमुख कार्य निरंतर बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना है ताकि उचित दाम पर गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली के पीक लोड, जो इस गर्मी में करीब 6000 मेगावाट पर पहले ही पहुंच चुका है, में उच्च वृद्धि को देखते हुए ट्रांसमिशन ढांचे में निरंतर बढ़ोतरी और उसे उन्नत करने की आवश्यकता है। सरकार ट्रांसमिशन/ट्रांसफॉर्मेशन की अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के लिए पूंजी निवेश के लिये ट्रांसमिशन कंपनी को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

115. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा 2015–16 में कार्यान्वयन के लिए प्रमुख पूंजी परियोजनाओं में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। ये परियोजनाएं 400/220 केवी ग्रिड सब–स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के लिये हैं।

116. भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए कार्यक्रम "समेकित बिजली विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस)" के अंतर्गत दिल्ली सरकार समान वित्तीय योगदान करेगी। इस योजना के उद्देश्यों में शहरी क्षेत्रों में सब–ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, वितरण/फीडरों तथा ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग और छतों पर सोलर पैनल लगाना शामिल है।

117. ऊर्जा सक्षमता और नवीकरण ऊर्जा प्रबंधन केंद्र ने दिल्ली के लिए छतों पर सौर ऊर्जा संस्थापना की व्यापक नीति तैयार की है जिसका लक्ष्य संस्थानों और जन–साधारण को सौर ऊर्जा के दोहन और बेहतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में दिल्ली की ग्रिड से जुड़ी सौर उत्पादन क्षमता 7 मेगावाट है। चालू वित्त वर्ष में सौर उर्जा क्षमता बढ़ाकर 14 मेगावाट करने का प्रस्ताव है।

118. चालू वित्त वर्ष के दौरान एक ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना की जाएगी ताकि ऊर्जा सक्षमता परियोजना और स्ट्रीट लाइटिंग आदि के लिए धन की व्यवस्था की जा सके।

119. मैं 2015–16 में उर्जा क्षेत्र के लिए 645 करोड़ रुपये के योजना बजट का प्रस्ताव करता हूं।

उद्योग

120. सरकार ने अनेक नए उपायों के जरिए दिल्ली में नई व्यापार इकाइयां लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है। व्यापार सरल बनाने संबंधी ई–बिज़ परियोजना के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार शुरू करने की अन्य मंजूरियां बिना किसी कठिनाई के प्रदान किए जाने के उपाय किये जा रहे हैं। मंजूरी देने वाले पांच विभागों की सात सेवाएं संयुक्त करते हुए

भारत सरकार के ई–बिज़ पोर्टल से जोड़ दी गई हैं और 22 अन्य सेवाएं 2015–16 के दौरान इसमें शामिल की जाएंगी।

121. सरकार इंस्पैक्टर राज की समाप्ति सुनिश्चित करेगी।

122. दिल्ली के सभी 29 औद्योगिक क्षेत्रों में ढांचागत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में सड़कों, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइटिंग, वर्षा जल निकासी, सीवर सुविधाओं और स्थानीय मलजल उपचार संयंत्रों (जहाँ कहीं आवश्यक हो) की व्यवस्था करना शामिल है।

पर्यावरण

123. वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी सम्बद्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा चालू वित्त वर्ष में करीब 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। विद्यार्थियों को पर्यावरण मुद्दों के प्रति जागरूक बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में 2076 इको–क्लब काम कर रहे हैं। खतरनाक कचरे के निपटान के लिए उपचार भंडार और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) की एक परियोजना तैयार की गई है, जिसके लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम की 14 एकड़ भूमि डीएसआईआईडीसी को सौंपी गई है। मध्य और दक्षिणी रिज क्षेत्र का टीएसएम सर्वेक्षण चालू वर्ष में शुरू करने का प्रस्ताव है। व्यापार सरल बनाने के कार्यक्रम के तहत एजेंसियां पेड़ काटने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

124. हमारी सरकार इस बात से भली–भांति अवगत है कि हमारे इस महान शहर के लाखों निवासियों के पास समुचित शौचालय सुविधाएं नहीं है। इसी प्रकार शहर के अनेक भागों में हमारे अनेक निवासियों के पास इस्तेमाल करने योग्य जन सुविधाएं नहीं हैं। सार्वजनिक सुविधाओं और निजी शौचालय की भारी कमी की इस समस्या का समाधान हमारी सरकार समग्र ढंग से करेगी। हम सुविधाओं की आवश्यकता और उनके व्यावहारिक रखरखाव की जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श कर रहे हैं।

125. खुले में शौच जाने की समस्या विशेषकर स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में एक चुनौती बनी हुई है। हम इस समस्या के समाधान और शहरी निर्धनों के लिये बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिये योजना बना रहे हैं ताकि उनके लिये स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके । डीयूएसआईबी के जरिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 53 स्लम बस्तियों में 4000 अतिरिक्त डब्ल्यूसी सीटें, 4 स्लम बस्तियों में 130 प्री–फैब डब्ल्यूसी सीटें और बायो–डाइजेस्टर्स के साथ 67 मोबाइल शौचालय वैन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

126. नगरीय कचरे के बेहतर निपटान के लिए सरकार द्वारा कचरे से ऊर्जा बनाने के संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कचरे से ऊर्जा बनाने वाला 16 मेगावाट क्षमता का एक संयंत्र 2012 से काम कर रहा है। कचरे से ऊर्जा बनाने वाला दूसरा संयंत्र शीघ्र ही गाजीपुर में चालू किया जाएगा। इस संयंत्र से 12 मेगावाट विद्युत पैदा होगी। ऐसा तीसरा संयंत्र नरेला–बवाना रोड पर एसएलएफ साइट के पास लगाया जा रहा है जो 24 मेगावाट विद्युत पैदा करेगा। ये तीनों संयंत्र 6250 मीट्रिक टन नगरीय ठोस कचरे का वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से उपयोग करेंगे।

127. सीमावर्ती राज्यों से वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश से दिल्ली को जिस भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है, उससे निपटने के लिए मैं अपने भाषण के भाग–ख में एक प्रस्ताव रखूंगा।

128. प्रदूषण नियंत्रण (पी.यू.सी.) जाँच केन्द्र जुलाई 2015 से वास्तविक समय आधार पर ऑनलाइन काम करने लगेंगे, जिससे आंकड़ों में हेराफेरी और जानबूझकर गलत रिपोर्टिंग संबंधी मैन्युवल हस्तक्षेपों से बचा जा सकेगा। परिवहन विभाग प्रदूषण नियंत्रण जाँच का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा।

129. बैटरी चालित चार पहिया वाहनों और दुपहिया वाहनों की नई खरीद करने वाले वाहन मालिकों को दिल्ली सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी जो भारत सरकार द्वारा दी जाने

वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगी, इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यावरण अनुकुल परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली सरकार की सब्सिडी के स्लैब इस प्रकार होंगे :–

क्र0सं0	बैटरी चालित 4 पहिये/2 पहिये वाहनों की लागत (बुनियादी मूल्य)	एकबारगी नियत सब्सिडी (रुपये)
1.	5 लाख रुपये तक मूल्य के 4 पहिये वाहन	30,000
2.	5 लाख रुपये से अधिक मूल्य के 4 पहिये वाहन	1,50,000
3.	20,000/– रुपये तक मूल्य के 2 पहिये वाहन	1,000
4	20,000/– रुपये से अधिक लेकिन 25,000/– मूल्य तक के 2 पहिये वाहन	2,000
5	25,000/– रुपये से अधिक मूल्य के 2 पहिये वाहन	5,500

130. अध्यक्ष जी, मैं परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत और परिवहन विभाग के पंजीकरण प्राधिकरण के साथ पंजीकृत बैटरी चालित ई–रिक्शा मालिकों को एक बारगी 15000/– रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव करता हँ। एक व्यक्ति केवल एक ई–रिक्शा पर सब्सिडी का दावा कर सकेगा और किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने वाले परिवर्ती वाहन पर सब्सिडी की अनुमति नहीं होगी।

131. सरकार किसी किस्म के कचरे, पत्तियों, रद्दी, प्लास्टिक कचरा, रबड़ आदि जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के प्रति समर्पित है। इस प्रकार की ऊपर वर्णित सामग्री जलाए जाने की प्रत्येक घटना पर, वास्तव में सामग्री जलाने वाले व्यक्ति अथवा उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर 5000/– रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी सिफारिश पर्यावरण प्रदूषण के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने की है। इस तरह एकत्र धन से एक पृथक कोष बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल पर्यावरण में सुधार के उपायों के लिए किया जाएगा।

132. अध्यक्ष जी, अब मैं अपने भाषण का भाग–ख प्रस्तुत करता हूं।

कर प्रस्ताव

[भाग–ख]

भाग–ख

133. माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार की नीतियों का वर्णन पहले ही कर चुका हूं, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। सरकार गरीबों, उपेक्षितों और समाज के निचले तबकों के उत्थान और कल्याण के प्रति समर्पित है। इसलिए, मैंने सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने के लिए अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता और यह सुनिश्चित करने के बीच उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है कि कर प्रस्तावों का आम आदमी पर प्रतिकूल असर न पड़े।

134. यह संभवतः भारत के इतिहास में प्रथम भागीदारीपूर्ण बजट है, इसे देखते हुए सहभागियों की भागीदारी न केवल व्यय योजना में रही है बल्कि राजस्व बढ़ाने में भी उनके सुझावों का ध्यान रखा गया है।

135. मैंने अपने कर प्रस्तावों में व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में दिल्ली के वितरक स्वरूप और दिल्ली की जनता से किए गए इन वायदों को ध्यान में रखा है कि कर प्रबंधन में पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता लाई जाएगी।

136. सरकार एक स्थिर कर व्यवस्था में विश्वास रखती है। कुछ वस्तुओं के मामले में अस्पष्टता दूर करने के लिये कुछ स्पष्टीकरणों को छोड़कर हम कर दरों में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। कर व्यवस्था में संशोधन प्रस्तावित करने से पहले हम आंकड़े जुटाने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, बहु–स्तरीय विचार–विमर्श और अध्ययन करेंगे।

137. हम उत्तरी राज्यों में एक समान कर व्यवस्था की दिशा में भी बढ़ रहे हैं ताकि कर विवाचन की स्थितियां कम से कम पैदा हों और भ्रष्ट पद्धतियों को समाप्त किया जा सके। इस संदर्भ में मैंने पड़ोसी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ सफल विचार–विमर्श किया और उन्होंने भी समान विचार व्यक्त किए। वैट प्रस्ताव कर की दरों में समानता के इस सिद्धांत और कराधान की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रख कर किए गए हैं।

138. मूल्य संवर्धित कर (वैट) सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। अनुमान है कि हम वैट के जरिए 24000 करोड़ रुपये वसूल करेंगे, जो सरकार की कुल राजस्व वसूली का 69. 3 प्रतिशत है। पिछले 2 महीनों में हमें वैट की वसूली में 37.6 प्रतिशत बढ़ोतरी भी दिखाई दी है।

139. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 84 के अंतर्गत अधिकतर औद्योगिक इनपुटों पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाता है। लक्कड़ और इमारती लकड़ी फर्नीचर के लिए इनपुट हैं। तदनुरूप मैं लक्कड़ और इमारती लकड़ी पर वैट की वर्तमान दर 12.5 प्रतिशत को घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

140. एक ही वस्तु के अलग अलग प्रकारों पर कर की दरें भिन्न होने से अस्पष्टता पैदा होती है। स्पष्टता लाने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी भी वस्तु के अलग अलग रूपों पर एकल दर से कर लगाया जाए।

141. वर्तमान में दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूचियों की प्रविष्टियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मोम (वैक्स) पर 5 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से वैट लगाया जाता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मौजूदा प्रविष्टियों में उपयुक्त संशोधन करते हुए सभी प्रकार के मोम पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाए।

142. बहुमूल्य धातुओं से बने बर्तनों को छोड़ कर प्रेशर कूकरों/कड़ाहियों सहित सभी प्रकार के बर्तनों पर वर्तमान में 5 प्रतिशत कर लगाया जाता है। परंतु, चाकू–छुरी इत्यादि कटलरी वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत कर लगता है। चूंकि ये वस्तुएं भी समान श्रेणी से सम्बद्ध हैं, अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि बहुमूल्य धातुओं से बने बर्तनों को छोड़ कर सभी बर्तनों और धातु की बनी कटलरी वस्तुओं (प्रेशर कूकरों/कड़ाहियों सहित) पर 5 प्रतिशत तक कर लगाया जाए।

143. अध्यक्ष जी, मैं कर की दरों में किसी बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। हमारा मानना है कि कारगर, सक्षम और सहज कर प्रबंधन के जरिये कर वसूली में सुधार लाया जा सकता है। सरकार वैट संरचना को सरल बनाने के प्रति वचनबद्ध है ताकि व्यापारी समुदाय आसानी से डी–वैट नियमों और विनियमों का अनुपालन कर सके। अनुपालन व्यवस्था को कम खर्चीली और व्यापार के अनुकूल बनाया जायेगा। अनुपालनों, प्रक्रियाओं और वस्तुओं की परिभाषा की व्याख्या में निश्चितता लाने के संदर्भ में कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की सरकार की कवायद अत्यंत व्यापक होगीं। चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदे के अनुसार सरकार छापा मारने की प्रथा की समाप्ति, व्यापारी समुदाय के सहयोग, लोगों के बीच जागरुकता अभियान, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के कारगर इस्तेमाल, व्यापार सूचना के अग्रवर्ती और पिछले संपर्कों में तालमेल और छिद्रित किस्म के व्यापार को नियंत्रित करते हुए कर चोरी की रोकथाम जैसे उपायों से कर वसूली में सुधार के प्रति वचनबद्ध है।

144. अध्यक्ष जी, सरकार न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है। हम स्वच्छ ईंधन से चलने वाले सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करेंगे। परंतु वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हम सभी के लिए चिंता का कारण है। हम सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में भारी मालवाहक डीज़ल वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। मैं ऐसे वाहनों के प्रवेश पर निम्नांकित अनुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं :–

क्र सं	वाणिज्यिक वाहन का प्रकार	प्रति एंट्री शुल्क (रु.)
1	टैम्पो (हल्के कमर्शियल वाहन)	रु. 100
2	4 पहिए वाले ट्रक	रु. 500
3	6 पहिए वाले ट्रक	रु. 750
4	10 पहिए वाले ट्रक	रु. 1000
5	14 पहिए वाले ट्रक	रु. 1500

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस धन का इस्तेमाल पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने, वे–इन–मोशन पुलों की संस्थापना और दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के अन्य उपायों के लिए किया जाए। सार्वजनिक परिवहन की बसों और टैक्सियों पर भीड़–भाड़ शुल्क नहीं लगाया जायेगा।

145. अध्यक्ष जी, सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग में अधिकतम गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली उन गिने चुने राज्यों में से एक है जो आयात स्तर पर नहीं बल्कि परिवहन परमिट स्तर पर राज्य आबकारी शुल्क वसूल करता हैं। शराब के व्यापार को सुचारु बनाने और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये, सरकार आबकारी शुल्क लगाने के स्थान में बदलाव करते हुए इसे परिवहन परमिट स्तर से आयात परमिट स्तर पर अंतरित करना चाहती है। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिये सरकार शराब की खुदरा बिक्री करने वाले निगमों के वार्षिक लाइसेंस शुल्क राशि 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.00 लाख रुपये वार्षिक करने का प्रस्ताव करती है। साथ ही अन्य लाइसेंसिंग के शुल्क में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। दिल्ली मीडियम लिक्कर के अप्रचलित ब्रैंड को वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रस्ताव है। सरकार का आबकारी शुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसमें पिछले वर्ष बढ़ोतरी की गयी थी। इसी प्रकार होटलों, क्लबों और रेस्त्राओं के लाइसेंसों के नवीकरण की प्रक्रिया आसान बनाने और उन्हें व्यापार अनुकूल बनाने के लिये सुधार के उपाय किये जायेंगे। इसके लिये संबद्ध विभागों से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की शर्तें हटाई जा रही हैं।

146. सरकार सभी प्रतिष्ठानों पर लागू विलासिता कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती है।

147. अध्यक्ष जी, केबल टी.वी./डी.टी.एच. सेवाओं पर 40 रुपये मनोरंजन कर लगाने का प्रस्ताव है। सिनेमाघरों पर मनोरंजन कर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार बाजीकर/एकत्रकर्ता कर यानी बेटिंग/टोटलाइज़ेटर टैक्स 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

148. अध्यक्ष जी, मैं कंपनियों और साझेदारी फर्मों के नाम पर पंजीकृत सभी श्रेणियों के निजी वाहनों के लिए पंजीकरण कर की वर्तमान दर में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करता हूं। यह प्रस्ताव व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा। इस उपाय से करीब 20 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

149. अध्यक्ष जी, सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेकाधिकार की परिणति भ्रष्टाचार में होती है और हम व्यवस्थित ढंग से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के प्रति वचनबद्ध हैं। भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू है, के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार स्टैम्प कलेक्टर, जब्त दस्तावेज के मामले में 5 रुपये से स्टैम्प ड्यूटी में कमी की मात्रा के 10 गुना तक जुर्माना लगा सकता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जुर्माने की दर विलम्ब के प्रत्येक महीने के लिए कमी राशि के 2 प्रतिशत की दर से युक्तिसंगत बनाई जाए। अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं कि स्टैम्प अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जाए, जो अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के लिए निश्चित व्यवस्था करेंगे और व्याख्या में भ्रम दूर करेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रस्तावित संशोधनों से भारतीय स्टैम्प अधिनियम के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता आएगी।

150. अध्यक्ष जी, मुझे इस सम्मानित सदन में घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने सर्कल रेट बढ़ाने की किसानों की लंबे समय से बकाया मांग पूरा करने का निर्णय किया है। भूमि अधिग्रहण के लिए सर्कल रेट को बेंचमार्क के रूप में समझा जाता है। कृषि भूमि के लिए सर्कल रेट की वर्तमान दर मार्च, 2008 में निर्धारित की गई थी और अब समय आ गया है कि सरकार बाजार की वास्तविकता को स्वीकार करे और किसानों के अधिकारों को समझे। मैं कृषि भूमि को 2 श्रेणियों में विभाजित करने और सर्कल रेट में निम्नांकित बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करता हूं :–

क्र सं	जिला	कृषि भूमि के लिए दर (रु. प्रति एकड़)	उन गांवों में कृषि भूमि की दरें जिनमें लैंड पूलिंग नीति लागू है (रु. प्रति एकड़)
1	पूर्वी	1 करोड़	2.25 करोड़
2	उत्तर पूर्वी	1 करोड़	2.25 करोड़
3	शाहदरा	1 करोड़	2.25 करोड़
4	उत्तरी	1.25 करोड़	3.0 करोड़
5	उत्तर पश्चिम	1.25 करोड़	3.0 करोड़
6	पश्चिम	1.25 करोड़	3.0 करोड़
7	दक्षिण पश्चिम	1.50 करोड़	3.5 करोड़
8	दक्षिणी	1.50 करोड़	3.5 करोड़
9	दक्षिण पूर्वी	1.50 करोड़	3.5 करोड़
10	नई दिल्ली	1.50 करोड़	3.5 करोड़
11	मध्य	1.25 करोड़	3.0 करोड़

151. अध्यक्ष जी, इन शब्दो के साथ, मैं सदन के विचारार्थ बजट को प्रस्तुत करता हूं।